

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा
28.12.2020

तारीख निर्णय
26.08.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1-श्री रविन्द्र गौड पुत्र श्री हरमान राम गौड निवासी ब्राहमणो का बांस जालेली नायला जलेली
द कारा जोधपुर एफ.बी.ओ. मैसर्स जय भवानी जोधपुर स्वीट् होम बस स्टैण्ड टोडारायसिंह
जिला टोंक राज0

2- मैसर्स जय भवानी जोधपुर स्वीट् होम बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0आ0 स्वयं।

2-अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 26.08.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 31.10.2020 को समय 12.45 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जय भवानी जोधपुर
स्वीट् होम बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपराइटर की हैसियत से श्री
रविन्द्र गौड पुत्र श्री हरमान राम गौड निवासी ब्राहमणो का बांस जालेली नायला जलेली द
कारा जोधपुर एफ.बी.ओ. मैसर्स जय भवानी जोधपुर स्वीट् होम बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला
टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं
परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार
किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के
गोदाम मे मावा (खोया) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर.
एफ.बी.ओ. श्री रविन्द्र गौड को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु
नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रविन्द्र गौड एवं गवाह के
हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



1253

अतिरिक्त जिला
टोंक



आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम में फीज में दो पिपों में 20 किलोग्राम मावा (खोया) रखे हुये में से पूर्णतया होमोजिनियस कर एक ट्रे में 1 किलोग्राम वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.वी.ओ. श्री रविन्द्र गौड को रू0 280/- अक्षरे दौ सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा (खोया) 1 किलोग्राम को बराबर-बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर प्रत्येक डिब्बे में 250-250 ग्राम भरकर प्रत्येक डिब्बे में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2651 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2651 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.वी.ओ. रविन्द्र गौड के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जांफे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।


आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/4050 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1617/एक्ट/2020/1621 दिनांक 06.11.2020 अनुसार रविन्द्र गौड से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मावा (खोया) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का मावा (खोया) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित 49)में निर्धारित है।



1254


अतिरिक्त जिला पालेन्द्र
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण का प्रतिनिधि उपरिथत हुआ। प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा (खोया) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा (खोया) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रविन्द्र गौड पुत्र श्री हरमान राम गौड निवासी ब्राहमणो का बांस जालेली नायला जालेली द कारा जोधपुर एफ.वी.ओ. मैसर्स जय भवानी जोधपुर स्वीट् होम बस स्टैण्ड टोडारायसिंह जिला टोंक राज0पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 26.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



26.8.2021
(मुरारी लाल मजिस्ट्रेट)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0